

228

104

न्यायालय श्री मान सदस्य राजस्व मण्डल लिंक कोर्ट रीवा म.प्र.

निगरानी 965-III-LS



RS. 201

1. श्री मती उषा सिंह पत्नी सनी प्रताप सिंह, उम्र 45 साल, निवासी वास छाट रीवा जिला रीवा म.प्र. ---- निगराकार/ आवेदिका

बनाम

- 1. म.प्र. शासन द्वारा तहसीलदार हुंजर गिर्द रीवा म.प्र.
- 2. श्री मती सुनीता पटनहा, पत्नी श्री रबीन्द्र कुमार रीछारिया, पेशा नौकरी पुलिस विभाग निवासी गौशाला चौक पटनहा बगीचा सतना, हाल मुकाम निवासी थाना सिटी केतवाली परिहार रीवा जिला रीवा म.प्र.
- 3. महाबीर गुप्ता तनय रामसुन्दर गुप्ता उम्र 52 साल, निवासी हर्दी तहसील एव थाना गुठ जिला रीवा म.प्र. ---- गैरनिगराकार गण/बना गण

राजमासुम जापसका... एड
रा आज दिनांक 9-04-15 के
स्तुत किया गया।
सिड
सर्किट कोर्ट रीवा

निगरानी विरुद्ध न्यायालय माननीय अपर कलेक्टर
महोदय रीवा जिला रीवा के निगरानी प्रकरण क्र 0
408/ब12/2010-11

बादेश दिनांक 27.2.15 के विरुद्ध निगरानी अन्तर्गत
धारा 50 भू. रा. सं. 1959 ई 01

क्रमांक 4996
सिड पोस्ट द्वारा आज
दिनांक 10-4-15 को प्राप्त
बि. डी. सि. कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र.

निगरानी के आधार नीचे लिख अनुसार है :-

- 1- यह कि न्यायालय माननीय अपर कलेक्टर रीवा के बादेश दिनांक 27.2.15 का विधि एवं प्रक्रिया के विरुद्ध होने से स्थिर रहे जाने योग्य है।
- 2- यह कि न्यायालय माननीय अपर कलेक्टर महोदय रीवा द्वारा बादेश प्रारित करते समय संपूर्ण तहसीलदार महोदय तहसील गिर्द के सीमाहान प्रकरण एवं बादेश

Handwritten signature

104

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक R.965.III/15 जिला-रीवा

अप्या विरुद्ध शम्भू सुनील पटवर्धन

(1)	(2)
16-1-19	<p>1. आवेदक की ओर से श्री. शम्भू सुनील पटवर्धन अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी कलेक्टर/ अपर कलेक्टर, जिला-रीवा के प्रकरण क्रमांक 408/37-12/2010-11 में पारित आदेश दिनांक 27.02.15 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 28.03.19 को कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: right;">सदस्य</p>

2. यह कि न्यायालय माननीय अपर कलेक्टर महोदय रीवा द्वारा आदेश पारित करते समय संपूर्ण तहसीलदार महोदय तहसील गिर्द के सीमांत प्रकरण एवं आदेश